

केन्द्रीय कर और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CENTRAL TAX & CUSTOMS
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विशाखापट्टनम क्षेत्र CENTRAL GST VISAKHAPATNAM ZONE

डीजीएचआरडी /एसी.-डीसी/ 222/2019

स्थापना आदेश (रा.प) सं. 26/2019


दिनांक 11 दिसंबर, 2019

विषय: जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विशाखापट्टनम क्षेत्र में सहायक आयुक्त के संवर्ग में नियुक्ति ।

संदर्भ: फ़ाइल सं. A-22013/06/2019-Ad.II से जारी सीबीआईसी का आदेश सं.163/2019 दिनांक 06.12.2019 ।

बोर्ड के उपर्युक्त आदेश के अनुसार, विशाखापट्टनम क्षेत्र में भा.रा.से (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के 69वें और 70वें बैच के सहायक आयुक्त (अधिकारी प्रशिक्षु) के शामिल होने के परिणामस्वरूप, श्री श्यामनाथ एस. (बैच/कर्मचारी कोड: 2017-9314) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक के लिए जीएसटी तिरुपति में नियुक्त किया जाता है ।

- उक्त अधिकारी ने इस कार्यालय में दिनांक 09.12.2019 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया तथा दिनांक 11.12.2019 (अपराह्न) को उनको उन्हें कार्यमुक्त किया गया ।
- प्रधान महानिदेशक, नासिन, फ़रीदाबाद के पत्र फ़ाइल सं.11(1)/62/2019-नासिन/Pt./5986-6017 दिनांक 09.12.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के पैरा 2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवीक्षाधीन को सहायक आयुक्त के रूप में एक स्वतंत्र प्रभार मई 2020 से सौंपा जाएगा । चूंकि अधिकारी प्रशिक्षु को जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद गठन में नियुक्त किया गया है, इसलिए उन्हें दिसंबर, 2019 से अप्रैल, 2020 तक सहायक आयुक्त (प्रशिक्षु) के पद के साथ अधीनस्थ अधिकारियों (अधीक्षक) के कार्यों को सौंपा जाएगा और मई, 2020 से स्वतंत्र प्रभार वाले सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- श्री एम. श्रीकांत, संयुक्त आयुक्त (कर्मचारी पहचान : 3820), जीएसटी गुंटूर को श्री श्यामनाथ एस. के लिए "परामर्शदाता" ("मेंटर") के रूप में नियुक्त किया गया है ।
- सम्बंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाए।
- यह केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्त, विशाखापट्टनम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया गया ।


(अरविंद दास)

सहायक आयुक्त

[फ़ाइल सी.नं.11/03/06/2018-सीसी (विशाखापट्टनम) स्थापना पीएफ़)से जारी किया गया]